

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक: एफ20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/2020-21/ 113

दिनांक: 15.3.2021

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(पुरुष/महिला/विधि/अ.ज.जा. क्षेत्र)
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान


विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट समर्पण के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का बजट आवंटन एवं समर्पण पत्रांक एफ20(101)एसएफ/
लेखा/बजट/आकाशि/2020-21/96 दिनांक: 22.2.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा सभी महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को अपने कार्यालय से संबंधित बजट मदों में आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी मद में बचत रहने की संभावना हो अर्थात् जिस राशि का अब व्यय नहीं होना हो या किया जाना संभव नहीं हो, को दिनांक 8.3.2021 तक IFMS पर बजट नियंत्रक आई.डी. 8959 पर समर्पित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

लेकिन अभी तक अधिकतर महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बचत राशि समर्पित नहीं की गई है। जबकि कई आहरण वितरण अधिकारियों के पास बजट राशि IFMS पर परिलक्षित हो रही है। अतः इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि बचत राशि का समर्पण ऑनलाईन दिनांक 16.3.2021 तक किया जाना सुनिश्चित करें। (इसके लिये अनावश्यक पत्र व्यवहार ना करें क्योंकि समर्पण ऑनलाईन ही किया जाना है।) इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा समर्पित की गई बजट राशि के एकत्रित होने से प्राप्त राशि आवश्यकता वाले महाविद्यालयों को आवंटन कर बजट का सम्पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।


उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये सम्पूर्ण वेतन का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान में किया गया है जिसमें माह मार्च 2020 के रोके गये वेतन का प्रावधान भी शामिल है। अतः सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त रोके गये वेतन का भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिये आवश्यक संवेतन मद में बजट दूरभाष द्वारा मांग प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101)एसएफ/लेखा/बजट/आकाशि/2020-21/ 114-15
प्रतिलिपि

दिनांक: 15.3.2021

1. संयुक्त निदेशक (आहरण एवं वितरण अधिकारी) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, को भेजकर लेख है कि कोरोना के कारण रोके गये वेतन का आहरण 31 मार्च 2021 तक किया जाना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर